[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 29/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2016

सा.का.नि. (अ),- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 17/2011-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2011, जिसे सा.का.नि. 132 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)
"1	हस्तशिल्प, जो कि उक्त अधिनियम की उक्त सूची के 7113 के अंतर्गत आने वाले हस्तशिल्प से भिन्न हों।"

[फा.सं. 354/25/2016-टीआरयू (पार्ट-I)]

(अनुराग सहगल)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 17/2011-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2011 को सा.का.नि. 132 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।